ISSN 2581-9917

छोटी सत्ता पर महिलाओं की पकड़

आजाद भारत में पंचायती राज का सफर १० मई १९४८ से माना जा सकता है। आजादी मिलने के बाद पंचायत व्यवस्था को लेकर सक्रिय और सार्थक प्रयास शुरू हुए। १ मई, १९४८ को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस बाबत तत्कालीन कानून मंत्री बी. आर. अंबेडकर और संविधान सभा के सम्मुख एक प्रस्ताव पेश किया। काफी बहस-मुबाहसे के बाद २७ नवंबर, १९४८ को इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। संविधान के चौथे अध्याय में नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद ४० में पंचायत संबंधी प्रावधान किये गये। पंचायती राज को भारतीय राजव्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए जनवरी १९५७ में अपनी रिपोर्ट सौंपी गयी। समिति ने अपनी सिफारिशों में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय (ग्राम, तहसील और जिला स्तर पर) पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की। एक अप्रैल १९५८ को समिति की सिफारिशें लागू कर दी गयी। इसी आधार पर २ सितंबर, १९४९ को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। १९७७ में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। समिति ने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर उसे संस्थागत रूप देने की सिफारिश की और पंचायती राज मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन इस समिति की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया गया। सन् १९८७ में डॉ. पी.वी.के. राव समिति ने पंचायती राज पर अपनी सिफारिशें सौंपी। १९८७ में पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा और सुधार के लिए सुझाव देने हेतु डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। सन् १९८९ में राजीव गांधी सरकार द्वारा वर्तमान पंचायती राज प्रणाली को सबल बनाने के लिए ६४वां संशोधन पेश किया गया जो पारित नहीं हो सका।

ग्रामीण राजनीतिक क्षेत्र में कुछ वर्ष पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है और पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा। आज ग्राम पंचायत में जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएं निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज नौ राज्यों के पंचायतों में पचास फीसदी से ज्यादा महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आयीं हैं, इसके लिए उन्हें कई झंझावतों के दौर से गुजरना पड़ा है। धीरे-धीरे ही सही महिलाएं घूंघट की ओट से निकलकर समाज की मुख्यधारा में आने लगी हैं।

पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से १९९२ में ७३वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्रामसभा का गठन होना अनिवार्य हो गया और ग्राम पंचायतों और सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दी गयी। इस व्यवस्था का प्रभाव हुआ कि देश में लाखों महिलाएं पंचायतों के नेतृत्व हेतु मैदान में आ गयीं। इस संशोधन के जरिये महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को भी स्वीकार किया गया। वर्तमान संदर्भों में देखा जाये तो बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों के पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर पचास कर दिया गया है।

अब कई लाख महिलाएं पंचायत चुनावों में भाग लेने लगी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, जिनके परिवार पंचायतों में रहे हैं और जिनके पीछे परिवार की ताकत है। कुछ महिला पंचायत प्रतिनिधि ऐसी हैं, जिनके अधिकार उनके पति या अन्य पुरुषों ने अपने पास रखे हुए हैं। तीसरी श्रेणी में वे महिला प्रतिनिधि हैं, जिन्हें लगता था कि वे पुरुष सहयोगी के बिना अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पायेंगी। लेकिन चौथी श्रेणी में वे महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में आत्मनिर्णय, साहस और बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया है। वैसे देखा जाये, तो ऐसी महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उनका प्रदर्शन अन्य महिला प्रतिनिधियों को प्रेरित करता है। कुछ समय पहले दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज ने महिला पंचों की भूमिका और उनके जरिये आ रहे बदलाव को लेकर अध्ययन किया था। उसका निचोड़ यह था कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनी गयी महिला पंचों ने अपने विवेक के आधार पर फैसला लेने का

साहस दिखाया था, जबकि बाकी राज्यों में ये महिला प्रतिनिधि अधिकतर पुरुषों की कठपुतली ही बनी रहीं। ऐसा पाया गया है कि अपने बूते काम करने वाली प्रतिनिधियों का कार्य पति या किसी महिला के दबाव में काम करने वाली महिलाओं से बेहतर है। महिला प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को पहचान कर इसका विरोध किया है और तमाम परेशानियों के बावजूद विकास कार्य किये हैं। जिन ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान हैं, वहां भ्रष्टाचार में काफी कमी आयी है। ऐसा पाया गया है कि महिला प्रतिनिधियों के कारण आम महिलाएं कम मजदूरी, गैर बराबरी, उत्पीड़न, बलात्कार तथा पति द्वारा छोड़ दिये जाने जैसी अपनी समस्यायें इनके समक्ष खुल कर रखने लगी हैं। पंचायतों में प्रतिनिधित्व से महिलाओं की स्वतंत्र पहचान बनी हैं। वे घूँघट की ओट से निकलकर समाज की मुख्यधारा में आयी हैं। केवल साक्षर, कम शिक्षित, तकनीकि शिक्षा से वंचित तथा विकास कार्यों से अनभिज्ञ महिलाएं भी जब आरक्षण के माध्यम से पंचायतों में पहुँची, तो उन्होंने जानकारियां जुटाकर अपना सर्वांगीण विकास किया।

भारत विश्व का पहला ऐसा देश है, जहाँ महिलाओं को चुनाव के जरिये सशक्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है। लोकसभा की शहरी और ग्रामीण विकास संबंधित स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका आरक्षण कम से कम दो वर्ष होना चाहिए। महिला अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दो साल में एक बार से अधिक नहीं लाया जा सकता और यदि कोई महिला किसी कारण से हटती भी है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग की महिला को बिठाया जाना चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता। चाहे गाँवों में साक्षरता के प्रसार का अभियान हो या गाँव के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो, गाँव में पीने के पानी की समस्या हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाएं ही आपसी सहयोग और विकास कार्यों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती हैं। बढ़ती आबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा, बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने और इन सबसे बढ़कर स्थानीय संसाधनों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महिलाएं ही अपना योगदान और नेतृत्व दे सकती हैं।

अधिकतर महिलाएं पहली बार राजनीतिक माहौल में आ रही हैं। इसलिए उनमें भय, संकोच एवं घबराहट होती है। ऐसी महिलाओं में साहस उत्पन्न करना होगा तथा महिलाओं को उनकी आतंरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा करना होगा। राजनीतिक माहौल में अपराधीकरण, आतंकवाद, कालाधन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण आम हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इन दुर्गुणों से अधिकतर महिलाएं सार्वजनिक रूप से अलग रहती हैं।

७३वें और ७४वें संविधान संशोधन के बाद एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि महिलाओं एवं पिछड़े व कमजोर वर्गों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान की वजह से ही यह संभव हो सका कि आज करीब दस लाख महिलाएं पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पिछले १५ सालों में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गयी है। पंचायतों में ३३ प्रतिशत आरक्षण है, हालांकि इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

वर्तमान पंचायतों में औसत महिला प्रतिनिधित्व ३६.९४ प्रतिशत है। कुछ राज्यों मसलन मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में महिला आरक्षण ५० प्रतिशत कर दिया गया है। आकंड़ो के मुताबिक बिहार में कुछ चुने गये प्रतिनिधियों में ५५ प्रतिशत महिलाएं हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में समाज का ताना बाना पूरी तरह बदल जायेगा। राजीव गांधी का कथन है - "गांव ही हमारी व्यवस्था का मूल है, लेकिन यदि व्यवस्था को मजबूती देकर विकास करना है तो प्रत्येक गरीब तक हमें पहुंचना होगा। आज यदि हमारा देश मजबूत है तो इसी कारण से कि इस देश की आम जनता बलशाली और उत्साह से भरपूर है। हाँ, हम व्यवस्थापकों ने जनता के उत्साह का भरपूर लाभ नहीं लिया। स्वराज्य की पहुँच गाँवों तक नहीं हो पायी है। हमें ऐसा करना ही होगा और उसका माध्यम है - पंचायती राज। इस पर हमें ध्यान देना होगा।"

डॉ. सीमा सिंह
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
एनसीडब्ल्यूईबी, मैत्रेयी कॉलेज।